IN THE COURT OF A.D.J-X, KAIMUR AT BHABUA

Title Appeal No. - 61/2013

CIS No. - 501/2014

दिनांक 30.05.2022	उभयपक्ष की ओर से हाजिरी है। वाद पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 51 सी0पी0सी0 साथ ही आवेदन दिनांक 17.09.2021 अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम को संचालित किया गया एवं कथन किया गया कि आवेदकगण स्व0 सत्यदेव मिश्रा के पुत्रगण वो पत्नी है। स्व0 सत्यदेव मिश्रा की मृत्यु दिनांक 09.03.2021 को हो गई है। स्व0 सत्यदेव मिश्रा एकमात्र अपीलार्थी है। कोविड–19 के कारण सत्यदेव मिश्रा की मृत्यु के बाद 90 दिनों के अंदर प्रतिस्थापना का आवेदन दाखिल नहीं किया गया। अतः न्यायहित में सत्यदेव मिश्रा का नाम कलमजद कर उनके जगह पर आवेदकगण को प्रतिस्थापित करना अतिआवश्यक है। अतः प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमाकर प्रतिस्थापना आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए। उक्त आवेदन पर विपक्षी द्वारा अनापत्ति दाखिल किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदन दिनांक 08.07.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 51 सी0पी0सी0 साथ ही आवेदन दिनांक 17.09.2021 अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर विपक्षी द्वारा अनापत्ति दर्ज किया गया है। अतः उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय अपीलार्थी सत्यदेव मिश्रा का नाम कलमजद करें एवं उनके विधिक वारिसान 1(क). बनारसी कुंवर 1(ख). कमलापती मिश्रा 1(ग). अव्धेश मिश्रा 1(घ). शिवनारायण मिश्रा का नाम प्रतिस्थापित करें। दिनांक 12.07.2022 वास्ते शेष विपक्षी की उपस्थिति एवं एल0सी0आर0 हेतु। लेखापित ह0/– अपर जिला न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ